

28-05-2015

सेवा मे,

जनसूचना अधिकारी (कारपोरेट ऑफिस),  
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०  
सौदामिनी, प्लॉट सं० 02, सेक्टर 29,  
गुडगांव, हरियाणा-122002 ।

विषय : "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अर्न्तगत सूचना ।

महोदय,

कृपया "सूचना के अधिकार अधिनियम २००५" के अर्न्तगत निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

1. कारपोरेशन के कुछ कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कामिकों को १० प्रतिशत एफ. सी.ए. देय है, कुछ में नहीं, कृपया स्पष्ट करें जहां दिया जा रहा है वहां डीपीई के किन दिशानिर्देशों के तहत देय है एवं जहां नहीं दिया जा रहा है वहां डीपीई के किन दिशानिर्देशों के तहत देय नहीं है ?
2. कृपया उपरोक्त बिन्दु संख्या ०१के सापेक्ष में डीपीई के दिशानिर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करें ?
3. कारपोरेशन के कुछ कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कामिकों को १० प्रतिशत एफ. सी.ए./एस.सी.ए. वेतन पुनःनिर्धारण परिपत्र सं० 277/2010 एवं परिपत्र सं० 278/2010 दि० 23-10-2013 के आधार पर शुरू किया गया था, जिसे बाद में किस आदेश के तहत रिकवर किया गया है, कृपया प्रति उपलब्ध करें ?

महोदय, उपरोक्त सूचना "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अर्न्तगत निहित प्रावधानों के अनुसार अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के अर्न्तगत आवेदन हेतु देय शुल्क रू०१०.०० के पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

आवेदक

नाम भावना मल्होत्रा

पता : H2/147

Sector 16

Rohini, First  
floor, Near  
Friday Market-  
Dehi - 89